उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या- 21/2021/800 /सत्रह-म-2021-6-9(236)/14 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर, 2021

विज्ञप्ति/ नियुक्ति

लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा सीधी भर्ती (सामान्य चयन) के माध्यम से सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित/ संस्तुत 11 अभ्यर्थियों में से क्रमांक-11 पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री सुमित कुमार को सम्यक विचारोपरान्त वेतनमान रू0 15600-39100-ग्रेड पे 5400/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान करने एवं निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-5 में उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद/स्थान में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

मुख्य सूची क्र 0	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम	पता	जन्म तिथि/ गृह जनपद	तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5
11	श्री सुमित कुमार पुत्र श्री हरिपाल	ग्राम व पोस्ट- सेलवान, थाना - बिन्दकी,जनपद-फतेहपुर 212657	दिनांक 05.03.1992 / फतेहपुर	कौशाम्बी

2- अभ्यर्थी श्री सुमित कुमार मत्स्य विभाग में अपनी योगदान की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और परिवीक्षा अवधि (जो नियमानुसार बढाई जा सकती है) सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

3- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत/अनुमन्य महँगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते,जो भी हों, देय होंगे।

4- अभ्यर्थी की सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गयी संगत नियमावलियों, शासनादेशों एवं नियमों के अधीन होंगी।

5- अभ्यर्थी आदेश की प्रति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर तैनाती के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण कर लें। यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्ति-युक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं,तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त/निरस्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

6- इस आदेश के निर्गमन के पश्चात यदि शासन के संज्ञान में आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव आदि सम्बन्धी योग्यता के संबंध में अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7- अभ्यर्थी को तैनाती के जनपद तक जाने/ पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

8- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

(1) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(2) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण- पत्र।

(3) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण –पत्र ।

(5) चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र ।

9- अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

10- उक्त अभ्यर्थी संबंधित जनपद/ स्थान में योगदान करने के पश्चात अपना कार्यभार प्रमाणक निदेशक मत्स्य व शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 21/2021/ 800(1) /सत्रह-म-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) मण्डलायुक्त, प्रयागराज ।

(4) जिलाधिकारी, कौशाम्बी ।

(5) सम्बंधित कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी ।

(6) उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-119(v)/15/एस-2/डी/2014-15 दिनांक 12 जनवरी,2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(7) संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज को राजपत्रित गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(8) उप निदेशक मत्स्य, (मुख्यालय), मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(9) उप निदेशक मत्स्य, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

(10) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(11) सम्बंधित अधिकारीगण (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।

(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com